

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

१. अपील संख्या – 1124 / 2011 / हनुमानगढ़.

मैसर्स मनोज ट्रेडर्स, नोहर, हनुमानगढ़. ....अपीलार्थी.  
बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर. ....प्रत्यर्थी.

२. अपील संख्या – 1414 / 2011 / हनुमानगढ़.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर. ....अपीलार्थी.  
बनाम

मैसर्स मनोज ट्रेडर्स, नोहर, हनुमानगढ़. ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ  
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से.


श्री एन. एस. राठौड़,  
उप-राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27 / 03 / 2014

### निर्णय

ये अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 164/आरवैट/हनुमानगढ़/09-10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 27.12.2010 के विरुद्ध पृथक-पृथक प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-श्रीगंगानगर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 58, 61 व 64 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.03.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हनुमानगढ़ जं० के व्यवहारी मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज की जांच प्रकरण में इम्पाउण्ड की गई बिल बुकों की जांच में पाया कि मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज का पंजीयन प्रमाण-पत्र दिनांक 12.01.2007 को प्रभावी तिथि 1.4.2006 से वेट अधिनियम की धारा 16(4)(d)(g) के तहत निरस्त किया गया है। निरस्तीकरण आदेश में वर्णित किया गया है कि व्यवहार में इस फर्म का जन्म ही नहीं हुआ है तथा आपराधिक षड्यंत्र के तहत केवल कागजी रूप से पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है। मैसर्स मनीष

 लगातार.....2

एन्टरप्राईजेज द्वारा घोषित व्यवसाय स्थल पर कोई व्यवसाय नहीं किया गया है। इस तथ्य की पुष्टि अध्यक्ष/सचिव व्यवहारी मंडल हनुमानगढ़ जं0 के बयान दिनांक 2.2.2007 से होती है। घोषित व्यवसाय स्थल के मालिक श्री बलराम पुत्र श्री मोहनलाल दुकान नं0 4ए नई धानमण्डी हनुमानगढ़ जं0 के बयान दिनांक 2.2.2007 अनुसार व्यवसायी ने कोई कारोबार नहीं किया है। मैसर्स मनीष एन्टरप्राईजेज से सम्बन्धित बिल संख्या 5 व 6 दिनांक 7.4.2006 पर कृषि उपज मण्डी की मोहर अंकित होने के बारे में कृषि उपज मण्डी समिति हनुमानगढ़ के पत्र संख्या 2775 दिनांक 2.2.2007 अनुसार उनके कार्यालय रेकॉर्ड अनुसार मैसर्स मनीष एन्टरप्राईजेज की उक्त बिल से सम्बन्धित बिल बुक का मण्डी समिति द्वारा प्रमाणीकरण नहीं किया गया है। फर्म मनीष एन्टरप्राईजेज फर्म के मालिक राम कुमार पुत्र करनैलसिंह के बयान दिनांक 23.2.2007 व मुनीम फर्म मेघराज पुत्र जीताराम के बयान दिनांक 13.3.2007 अनुसार उनके द्वारा किसी प्रकार के माल का बेचान नहीं किया गया है तथा यह भी जाहिर किया कि बिल खरीदने वालों ने उसे रूपये 8/- प्रति किंविटल का लालच दिया जाकर सेल्फ के चैक पर हस्ताक्षर करवाये जाकर स्वयं भुगतान प्राप्त किया है तथा किसी माल की कोई खरीद बिक्री नहीं हुई है।

इस आधार पर मैसर्स मनीष एन्टरप्राईजेज द्वारा तथ्यों की गलत घोषणा व Fraud के कारण वेट अधिनियम की धारा 16(4)(डी) तथा False or forged Vat Invoices जारी करने के कारण धारा 16(4)(जी) के तहत करापवंचन में लिप्त पाये जाने के कारण उसका पंजीयन जारी तिथि 1.4.2006 से ही निरस्त होने तथा वेट जमा नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा उससे की गई कथित खरीद पर क्लेम की गई आई.टी.सी. रूपये 12,236/- को धारा 18 के तहत रिवर्स करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने कम वैट जमा होने के कारण धारा 55 के तहत ब्याज तथा स्वयं द्वारा फर्जी वैट इन्वॉयसेज से आई.टी.सी. क्लेम करने के कारण वेट अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत वैट की चार गुणी शास्ति रूपये 48,944/- आरोपित की।

इसके अलावा कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी ने दिनांक 31.3.2006 को अन्तिम स्टॉक में रहे दलहन मूँग पर 4 प्रतिशत से रूपये 9384/-, मोठ पर 2 प्रतिशत से रूपये 15,548/-, चना पर भी 2 प्रतिशत से रूपये 5,656/- की आई.टी.सी. क्लेम की है, जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 2005-46 दिनांक 8.5.2006 संशोधन अधिसूचना संख्या 2005-55 दिनांक 8.5.2006 से दलहनों पर 1 प्रतिशत करदेयता निर्धारित करने

 लगातार.....3

व अधिसूचना संख्या 2008-84-85 दिनांक 25.2.2008 से इसे 1.4.2006 से प्रभावी करने के परिणामस्वरूप दलहनों पर 1 प्रतिशत आई.टी.सी. को रिवर्स करते हुए रूपये 15,683/- वैट तथा देरी से जमा के कारण रूपये 5342/- ब्याज आरोपित किया।

कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के पास दिनांक 31.3.2006 को अवशेष रहे ग्वार के स्टॉक पर क्लेम की गई आई.टी.सी. को इस आधार पर रिवर्स किया कि ग्वार के दिनांक 8.2.2007 को करमुक्त होने तक उसका विक्रय दिनांक 7.2.2007 तक नहीं किया गया था। इसलिए रूपये 10,930/- आई.टी.सी. रिवर्स के साथ ब्याज रूपये 3722/- आरोपित किया।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 1.4.2006 से 7.2.2007 तक खरीदे गये कर योग्य ग्वार पर चुकाये गये कर रूपये 6757/- का आई.टी.सी. क्लेम करने पर कर निर्धारण अधिकारी ने इस माल के दिनांक 8.2.2007 से करमुक्त होने के कारण आई.टी.सी. अस्वीकार कर वेट रिवर्स करते हुए ब्याज रूपये 1626/- आरोपित किया।

अपीलार्थी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.3.2009 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज से क्रीत माल पर आई.टी.सी. रिवर्स को अपास्त करते हुए ब्याज व शास्ति को अपास्त किया। ग्वार गम के दिनांक 31.3.2006 के स्टॉक व दिनांक 7.2.2007 तक खरीद पर रिवर्स कर व ब्याज को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। दलहनों पर किये गये आंशिक आई.टी.सी. रिवर्स को उचित मानते हुए अपील अस्वीकार की है। अपीलीय आदेश में दलहनों पर रिवर्स टैक्स व ब्याज की पुष्टि किये जाने को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 1124/2011 में चुनौती दी गई है, जबकि अपील स्वीकार किये गये अन्य बिन्दुओं पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपील संख्या 1414/11 में चुनौती दी गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने सूचित किया कि प्रतिप्रेषण बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 21.5.2012 को अपीलीय आदेश की पालना में कर निर्धारण आदेश पारित किया जा चुका है इसलिए इस बिन्दु पर अपील निष्प्रभावी होने के कारण वे ग्वार/गम सम्बन्धी बिन्दु पर जोर नहीं देना चाहते हैं। इस बिन्दु पर व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दलहनों पर वेट अधिनियम प्रभावी होने से पूर्व 4 प्रतिशत से कर चुकाया गया था। इसी आगत कर का मुजरा (I.T.C.) स्वीकार किया जाना चाहिये था। वेट अधिनियम में बाद में किये गये संशोधन के आधार पर आई.टी.सी. रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने दलहनों पर आई.टी.सी. रिवर्स कर ब्याज आरोपण अविधिक किया, जिसे अपीलीय अधिकारी ने भी पुष्टि कर विधि विपरीत आदेश पारित किया है, जो कि अपास्तनीय है। अतः व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी ने अन्य बिन्दुओं पर अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए विभागीय अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने बहस प्रारम्भ करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण विचार किये बिना ही मैसर्स मनीष एन्टरप्राईजेज से कथित खरीद पर आई.टी.सी. क्लेम को स्वीकार किया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा मैसर्स मनीष एन्टरप्राईजेज हनुमानगढ़ जं0 से खरीद बताई गई है, जिसने आलौच्य अवधि में कोई क्रय विक्रय ही नहीं किया है, केवल बिल जारी किये हैं। माल का हस्तांतरण नहीं हुआ है। अपीलार्थी व्यवहारी ने मात्र खरीद के बिल मैसर्स मनीष एन्टरप्राईजेज से प्राप्त किये हैं, जबकि माल स्थानीय बाजार से अपंजीकृत व्यवहारियों/काश्तकारों से क्रय किया है। विक्रेता मैसर्स मनीष एन्टरप्राईजेज द्वारा न तो माल विक्रय किया गया है न कि कथित बिलों में वर्णित वैट राजकोष में जमा कराया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी को आई.टी.सी. का क्लेम वैट अधिनियम की धारा 18(2) अनुसार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपीलीय अधिकारी ने अप्रासंगिक निर्णयों का सहारा लेकर तथा विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपीलार्थी व्यवहारी को वैट चुकाने के दायित्व से मुक्त किया है। अतः अपीलीय आदेश को इस बिन्दु पर अपास्त किये जाने व अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने दलहन पर आई.टी.सी. वेट अधिनियम के तहत कर दर के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि विधिसम्मत की है, इसलिए इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण आदेश में कर निर्धारण अधिकारी ने मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज के सम्बन्ध में की गई जांच दिनांक 2.2.2007, 23.2.2007 व 13.3.2007 के आधार पर माना है कि मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज द्वारा कोई माल का क्रय विक्रय नहीं किया है। कृषि उपज मण्डी व व्यापार मण्डल हनुमानगढ़ जं0 की जांच में भी माल का परिवहन होना नहीं पाया जाता है। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में इन तथ्यों पर गौर नहीं कर केवल मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज का भूतलक्षी प्रभाव से पंजीयन निरस्त किये जाने के आधार पर संव्यवहारों को Genuine माना है तथा संव्यवहार बोगस होना प्रमाणित नहीं माना है। प्रकरण के तथ्यों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स एन्टरप्राइजेज से मात्र वैट इन्वॉयस प्राप्त की गई है। माल क्रय नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी ने माल अन्य रथानों से क्रय कर मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज के बिलों के आधार पर आई.टी.सी. क्लेम किया है। बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा इन तथ्यों के विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 18(3)(v) संव्यवहार Genuine होने का दायित्व क्रेता पर डालता है। जिसे क्रेता अपीलार्थी ने पूर्ण नहीं किया है। माल के वास्तविक क्रय विक्रय व परिवहन के अभाव में बिलों को सद्भावी नहीं माना जा सकता। मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज विक्रेता ने स्वयं अपने बयानों में माल विक्रय करने से इन्कार किया है। केवल बिल जारी किये हैं तथा वर्णित भुगतान को क्रेता द्वारा सेल्फ के चैक हस्ताक्षरित करवाकर वापस ले लिया है। इसलिए क्रय बिलों के सद्भावी नहीं होने तथा उन्हें वर्णित वैट विक्रेता द्वारा राजकोष में जमा नहीं कराने के कारण अपीलार्थी को आई.टी.सी. का क्लेम स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपीलीय अधिकारी ने आई.टी.सी. रिवर्स को अपास्त कर विधिक भूल की है। कर कम जमा होने की स्थिति में ब्याज भी उचित आरोपित किया गया है।

अपीलार्थी ने स्वयं के लाभ के लिये असद्भावी बिलों से आई.टी.सी. का फर्जी क्लेम किया गया है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 61(2)(ए) के तहत गलत क्लेम आई.टी.सी. की चार गुण शास्ति आरोपित कर कोई विधिक भूल नहीं की है, इसलिए अपीलीय आदेश को इस बिन्दु पर अपास्त कर, कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल किया जाता है।

दलहनों पर आई.टी.सी. के सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 19 अनुसार खरीद पर चुकाया गया कर या वेट अधिनियम से प्रभावी कर दर, जो भी कम हो, को स्वीकृत किया जा सकता है। सम्बन्धित प्रावधान उद्धरित करना समीचीन होगा —

लगातार.....6

**Sec. 19. Input tax credit for stock on the date of commencement of this Act.—**

Input tax credit shall be allowed on the goods other than capital goods, which had suffered tax under the repealed Act, and are lying in stock of the dealer on the date of commencement of this Act, provided that such dealer has submitted the details of such stock, as required by the Commissioner under section 93 of the repealed Act or section 91 of this Act, and such goods in stock are used for the purposes specified in clauses (a) to (f) of sub-section (1) of section 18.

**However, the input tax credit under this section shall be allowed to the extent of the tax paid under the repealed Act or the amount of tax payable on such goods under this Act, whichever is less.**

दलहनों के विषय में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2005—46 दिनांक 8.5.2006 सपष्टित संशोधित अधिसूचना संख्या 2005—55 दिनांक 1.6.2006 अनुसार दलहनों को वेट अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में रखते हुए कर दर 1 प्रतिशत की, जो कि अधिसूचना संख्या 2008—84—85 दिनांक 25.2.2008 अनुसार 1.4.2006 से प्रभावी होने की स्थिति में दिनांक 31.3.2006 को स्टॉक पर 1 प्रतिशत से आई.टी.सी. स्वीकार की जा सकती है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने मूँग पर 3 प्रतिशत, मोठ व चना पर 1 प्रतिशत आई.टी.सी. रिवर्स कर कोई विधिक भूल नहीं की है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विधिसम्मत ठहराया जाता है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

ग्वार/गम के बिन्दु पर अपील निष्प्रभावी होने के कारण इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील 1124/2011 स्वीकार की जाती है तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील 1414/2011 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

( जे. आर. लोहिया )

सदस्य  
27/03/14